संख्या: 10/2024/1728 /छप्पन-2023-41/03टी0सी0

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 08 जनवरी, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के लिए 02 अतिरिक्त वाहन किराए पर लिए जाने की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 256/ ना0उ0नि0/ऑप्स-59/2023, दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-51/2023/430/छप्पन-2022-41/03 टी0सी0 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० के लिए 06 वाहन (05 हॉण्डा सिटी वाहन एवं 01 इनोवा सभी ए०सी० वर्जन) किराए पर लिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने की सूचना देते हुए नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ०प्र० के शासकीय कार्यों की पूर्ति तथा आर०सी०एस० के अन्तर्गत विकसित किए जा रहे एयरपोर्ट्स के निरीक्षण आदि कार्यों के लिए 02 अतिरिक्त वाहनों (हॉण्डा सिटी अथवा समकक्ष श्रेणी) को किराए पर लिए जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ निजी ट्रेवल एजेन्सियों से किराए पर वाहन लिए जाने से सम्बन्धित राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के शासनादेश तथा जेम पोर्टल से प्राप्त समस्त शर्तों/ SLA के माध्यम से अधिकतम 02 अतिरिक्त वाहन (हॉण्डा सिटी अथवा समकक्ष श्रेणी के ए0सी0 वर्जन) किराए पर लिए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:

(क) अपरिहार्य/ न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या अधिकतम 02 वाहन (हॉण्डा सिटी अथवा समकक्ष श्रेणी के ए0सी0 वर्जन) अवधारित की जाएगी।

(ख) नागरिक उड्डयन निदेशालय में वाहनों के उपयोग के लिए अधिकृत अधिकारियों की अपरिहार्य आवश्यकता एवं उपलब्ध वाहनों के संचालन में अपरिहार्य/न्यूनतम व्यय के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सुनिश्चित करेंगे।

(ग) निजी फर्मों का आबद्धीकरण राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के सम्बन्धित शासनादेश में इंगित फर्मों के माध्यम से शासनादेश में इंगित वैधता अवधि में किया जाएगा।

2/....

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) नागरिक उड्डयन विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के सम्बन्धित शासनादेश से इतर जेम पोर्टल की शर्तों / SLA (सर्विस लेवल अग्रीमेंट) के अनुसार भी वाहनों का आबद्धीकरण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ड) यदि राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश के अधीन वाहन सम्बद्ध किए गए हों तो किसी फर्म की वैध सूची से बाहर होने की दशा में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उस फर्म का सम्बद्धीकरण समाप्त कर दिया जाए।

(च) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा फरवरी माह के प्रारम्भ में अगले वित्तीय वर्ष के लिए वाहनों की आवश्यकतानुसार शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

(छ) निदेशक, नागरिक उड्डयन वाहन किराए पर लिए जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनादेशों/नियमों/ विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ज) निदेशक, नागरिक उड्डयन वाहन किराए पर लिए जाने के सम्बन्ध में सुसंगत मानक मद के विषय में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु आबद्ध की गई फर्म से न्यूनतम किराए और अपरिहार्य आवश्यकता के आधार पर ही वाहन किराए पर लिए जाएंगे और फर्म को भुगतान सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

3- उपर्युक्त में आने वाली धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन सुसंगत राजस्व लेखाशीर्षक "2070- अन्य प्रशासकीय सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03 नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-42- अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(कुमार हर्ष)
विशेष सचिव।

पृ0सं0:10/2024/1728(1) छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई०एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,

(आनन्द कौशिक)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in